3.16	वकील अप्रार्थी उपस्थित। जवाब पेश करने हेतु समय चाहते अन्तिम समय का अवसर दिया जाता है पत्रावली 2/5/16 को पेश हो।	
2.5.16	वकील अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 8.6.16 को पेश हो।	
01/6/16	पत्रावली न्याय आपके हर के समय पर पेश की गई। पक्षकारान उप.। पक्षकारान मालिकु वाद प्रार्थना डिग्री करना चाहते हैं अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। डिग्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावली बाद मिसल बाकी पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता सरकार भण्डार जमा हो।	वकील दस्तखत प्रतिवादीगण (1) मूजाराम (3) दाकु
	SDO उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– देसूरी

बईजलास :– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0

वादी :–

मृत वगताराम पुत्र भगाजी के कायम मुकान
1. सवाराम पुत्र वगताराम

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1. सुजाराम पुत्र रताजी
2. धापु पत्नी रताजी
3. दाकु पुत्री रताजी

जातिगण सिरवी निवासी नारलाई

राजस्व वाद बाबत् घोषणा,
अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 104/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–....... व हाजरी ...., वादीगण मिनजानिब मुद्धई व ...., प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा ग्राम नारलाई पटवार हल्का नारलाई के खसरा नम्बर 1510,1511,1512,1513,1514 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.700 हैक्टेयर लगान 47.80 रुपये की कृषि आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगणो को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर नारलाई के आज तारीख 10/06/2016 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	....	स्टाम्प वकालतनामा	....
स्टाम्प वकालतनामा	....	स्टाम्प अर्जी	....
स्टाम्प वजह सबूत	....	महनताना वकील	....
महनताना वकील	....	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	....	फीस कमीश्नर	....
फीस कमीश्नर	....	बाबत ईजराय हुक्मनामा	....
बाबत ईजराय हुक्मनामा	....	मुत्फरिक	....
मिजानः–		मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला–पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

ठासीन अधिकारी : **श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0**
जस्व वाद संख्या : 104/2013

ादी :- बनाम प्रतिवादीगण:- ।
ृत वगताराम पुत्र भगाजी के कायम मुकान
1. सवाराम पुत्र वगताराम

1. सुजाराम पुत्र रताजी
2. धापु पत्नी रताजी
3. दाकु पुत्री रताजी
जातिगण सिरवी निवासी नारलाई

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955
तारीख रजूः 03/08/2012

उपस्थितः. वादीगण एवं प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत नारलाई पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्धगण प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नारलाई पटवार हल्का नारलाई के खसरा नम्बर 1510,1511,1512,1513,1514 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.700 हैक्टेयर लगान 47.80 रुपये में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण कब्जा-काश्त कर रहे है अतः मौके अनुसार वादी को आराजी का 1/2 हिस्से का हिस्सेदार एवं प्रतिवादीगणो को 1/2 हिस्से का हिस्सेदार घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर बेट अलग-अलग कराने हेतूवादी द्वारा वाद मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया गया।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद में डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा ग्राम नारलाई पटवार हल्का नारलाई के खसरा नम्बर 1510,1511,1512,1513,1514 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.700 हैक्टेयर लगान 47.80 रुपये की कृषि आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगणो को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र नारलाई में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)